258
3.36 pm

संख्या:– /XXIV(6)/2017–4(51)/16

प्रेषक,

एम0एम0 सेमवाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
दून विश्वविद्यालय,
देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–6 (उच्च शिक्षा) **देहरादून, दिनॉक, 22 सितम्बर ~~अगस्त~~, 2017**

विषय:– दून विश्वविद्यालय देहरादून में कार्यरत कार्मिकों के सामान्य भविष्य निधि हेतु खोले गये पी0एल0ए0 खाता संख्या–8338–00–104–04 में ब्याज की धनराशि स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–180/31/2016 दिनांक 28 अक्टूबर, 2016 एवं पत्र संख्या–214/31/2016 दिनांक 11 नवम्बर, 2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसमें विश्वविद्यालय के पी0एल0ए0 खाता सख्या–8338–00–104–04 में ब्याज की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– उक्त संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दून विश्वविद्यालय में कार्यरत दो कार्मिकों की भविष्य निधि की धनराशि विश्वविद्यालय के **पी0एल0ए0 खाता सख्या–8338–00–104–04 में जमा धनराशि पर अर्जित ब्याज रू0 2,88,109/–(रू0 दो लाख अठ्ठासी हजार एक सौ नौ रूपये मात्र)** की धनराशि जिसका आहरण नगद न कर, पुस्तक समायोजन के माध्यम से संबंधित कार्मिकों के भविष्य निधि खाते में जमा करने की निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि के देयक पर निदेशक/उप निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किए जायेंगे।

(2) विश्वविद्यांलय के वित्त अधिकारी द्वारा उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जबकि गत् वित्तीय वर्ष/वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार उपभोग कर लिया गया हो तथा कोई भी धनराशि अवशेष न हो। धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जाएगा।

(3) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी ओदशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो उनमें आहरण करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(4) इस अनुदान पर वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 अध्याय–16–ए में निहित अनुदान के नियम लागू होंगे।

(5) इस अनुदान का उपयोग शासन द्वारा अनुमोदित मदों पर ही किया जायेगा। किसी भी दशा में एक मद की धनराशि दूसरे मद में व्यय कदापि न की जाये अन्यथा की स्थिति में समक्ष प्राधिकारी का पूर्णतः उत्तरदायित्व होगा। जो बिल कोषागार को भुगतान हेतु प्रस्तुत किए जाय, उनमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या/मद का भी उल्लेख अवश्यमेव किया जाय, स्वीकृत धनराशि का व्ययावर्तन किसी भी दशा में मान्य नहीं होगा।

(6) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि (वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के पैरा–162) समस्त आहरित अग्रिमों का समायोजन आहरण–वितरण अधिकारियों द्वारा 30 दिनों के अन्दर कर दिया जाय

तथा डीटेल्ड कन्टीजेन्ट (डी0सी0) बिल महालेखाकार को भेज दिए जाय। विभिन्न अग्रिमों का आहरण अधिकारों के प्रतिनिधायन 2010 में दी गई सीमाओं के अनुसार ही किया जाय।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–57(भ0)XXVII(3)/17 दिनांक 03.08.2017 में प्राप्त उनकी सहमति एवं से साफ्टवेयर के माध्यम से निर्गत विशिष्ट एलॉटमेंट आई0डी0 संख्या– H1709071442 (प्रति संलग्न) द्वारा निर्गत किए जा रहे है।

4– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक के अन्तर्गत अनुदान संख्या–7 के लेखाशीर्षक–2049–ब्याज अदायगियां–60 अन्य दायित्वों पर ब्याज–101 जमाओं पर ब्याज (भारित)–03–कर्मचारियों की भविष्य निधि पर ब्याज (ट्रेजरी पी0एल0ए0 में) अवशेष–00–32–ब्याज/लाभांश की सुसंगत इकाई के नामें डाला जायेगा।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(एम0एम0 सेमवाल)
संयुक्त सचिव।

सं0:–940(1)/XXIV(6)/2017–4(51)/16, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग देहरादून।
2. आयुक्त, गढवाल मण्डल।
3. कुलपति, दून विश्वविद्यालय, देहरादून।
4. वित्त नियंत्रक, दून विश्वविद्यालय, देहरादून।
5. कोषाधिकारी, देहरादून।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, देहरादून।
7. निदेशक/उप निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी।
8. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय उत्तराखण्ड।
9. वित्त अनुभाग–3/वित्त अनुभाग–1 उत्तराखण्ड शासन।
10. बजट राजकोषीय, नियोजन एवं संसाधन सचिवालय, देहरादून।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बी0डी0 बेलवाल)
उप सचिव।